

16-01-19

प्रस्तुत वाद में प्रथम पक्ष के द्वारा आवेदन दिया गया है कि विवादित जमीन प्रथम पक्ष को आपसी बँटवारे में मिली जमीन है। जिसको द्वितीय पक्ष के द्वारा जोरजबरजस्ती कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत कार्यवाही प्रारंभ कर द्वितीय पक्ष को प्रतिबंधित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रथम पक्ष का पक्ष


प्रथम पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने पक्ष में बतलाया कि विवादित जमीन आर० एस० खतियान में मंगला महतो ,पिता-सोनाराम महतो के नाम से दर्ज है। मंगला महतो के तीन पुत्री बोधना देवी वो सुहो देवी वो पैरो देवी थी। प्रथम पक्ष पैरो देवी के वंशज है एवं द्वितीय पक्ष बोधना देवी के वंशज है। सुहो देवी की नावलद मृत्यु हो गई है। विवादित जमीन प्रथम पक्ष की हिस्से की जमीन है। जिसका प्रमाण दाखिल खारिज वाद संख्या-13/1995-96 एवं 02/2004-05 में अपीलार्थी का बयान के फैसला से होता है। उन्होंने धारा-144 द० प्र० सं० के तहत कार्यवाही प्रारंभकर द्वितीय पक्ष को प्रतिबंधित करने हेतु अनुरोध किया गया है।


द्वितीय पक्ष का पक्ष

द्वितीय पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने पक्ष में बतलाया कि विवादित जमीन आर० एस० खतियान में मंगला महतो ,पिता-सोनाराम महतो के नाम से दर्ज है। मंगला महतो के तीन पुत्री बोधना देवी वो सुहो देवी वो पैरो देवी थी। द्वितीय पक्ष बोधना देवी के वंशज है एवं प्रथम पक्ष पैरो देवी का वंशज है। सुहो देवी की नावलद मृत्यु हो गई है। प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के खेती को बरबाद करने के नियत से मुकदमा दायर किया गया है। खेती किये हुए जमीन द्वितीय पक्ष की हिस्से की जमीन है। इस पर प्रथम पक्ष का किसी प्रकार का दावा नहीं बनता है। विवादित जमीन को लेकर मुकदमा होता है। प्रथम पक्ष मुकदमा में एक पैसा भी नहीं देता है। उन्होंने वाद को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के बहस को सुनने, पुलिस प्रतिवेदन एवं दाखिल किये कागजातो के अवलोकन से प्रतित होता है कि विवादित जमीन को लेकर उभय पक्ष में स्वत्व/बँटवारा को लेकर विवाद है। विवादित भूमि को लेकर द० प्र० सं० की धारा-144 के तहत कार्यवाही प्रारंभ कर आदेश पारित किया जाना संभव नहीं है। उभय पक्ष शांति व्यवस्था बनाये रखे। न्याय हेतु सक्षम न्यायालय में जा सकते है।

लेखापित एवं संशोधित


16/01/19
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बुण्डू।


16/01/19
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बुण्डू।